अति आवश्यक
ई0मेल

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।

सेवा में

1. राज्य के सभी जिला उपायुक्त।
2. राज्य के सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी।

यादी कंमाक 1472—2ई0सी0डी0—1—2022 / 4109 , दिनांक : 20/9/2022

विषय :— **बी0डी0पी0ओ0 के रिक्त पदों को सेवानिवृति बी0डी0पी0ओ0 / डी0डी0पी0ओ0 / डिप्टी सी0ई0ओ0 में से पुर्ननियुक्ति आधार पर भरने बारे ।**

————

विषयोक्त मामले में बी0डी0पी0ओ0 के रिक्त पदों को सेवानिवृति बी0डी0पी0ओ0 / डी0डी0पी0ओ0 / डिप्टी सी0ई0ओ0 में से पुर्ननियुक्ति आधार पर भरने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 16.09.2022 की प्रति आपको अपने—2 जिले के उपरोक्त सेवानिवृत अधिकारियों के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित की जाती है।

अधीक्षक विकास—I
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।

पृष्ठांकन कंमाक 1472—2ई0सी0डी0—1—2022 / 4110 चण्डीगढ़, दिनांक 20/09/2022

इसकी एक प्रति नोटिस की प्रति सहित सहायक अभियंता, सूचना एवं प्रोधोगिकी कार्यालय महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सैक्टर —28, चण्डीगढ को भेजकर अनुरोध है कि नोटिस की प्रति तुरन्त वेबसाईट पर अपलोड करके सरकार को सूचित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक विकास—I
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।

आवश्यक सूचना

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा में बी0डी0पी0ओ0 की कमी के मध्यनजर कुछ पद पुर्ननियुक्ति के आधार पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा समय–2 पर जारी हिदायतों के दृष्टिगत सेवानिवृति बी0डी0पी0ओ0 / डी0डी0पी0ओ0 / डिप्टी सी0ई0ओ0 में से भरने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक सेवानिवृत अधिकारी, जिनकी आयु 63 वर्ष से कम है तथा जिनके विरूद्व कोई विभागीय / अपराधिक इत्यादि मामला लम्बित नही है, बी0डी0पी0ओ0 के पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु अपना आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित सरकार को 15 दिन के अन्दर–2 भिजवा सकते है।

दिनांक 16.09.2022

अवर सचिव, विकास
कृते अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ।